

2 **बस्तर संभाग**
घोर नक्सल प्रभावित पलोड़ी में मलेरिया मुक्त अभियान ...

6 **अभिमत**
कर सुधारों की आवश्यकता

10 **संस्कारधानी**
जिला प्रशासन के बेतुके आदेश के बाद थम गई शहर की ...

11 **न्यायधानी**
लॉकडाउन के पहले दिन घण्टों झमाझम बारिश...



रायपुर, लखनऊ, नई दिल्ली और फरीदाबाद से प्रकाशित

हमेशा सच के साथ

RNI NO. CHHHIN/2016/70655

प्रायनियर

www.dailypioneer.com रायपुर, शुक्रवार 24 जुलाई 2020 पृष्ठ-12 वर्ष-04, अंक-337 मूल्य 3.00 ₹



GOOD ATMOSPHERE DEMONSTRATION LAB & LIBRARY

DIGITAL CLASSROOM

EXALTING EDUCATION

HOSTEL FACILITY AVAILABLE FOR BOYS & GIRLS

SHRI BALAJI
Institute of Nursing

ADMISSION OPEN

PARAMEDICAL PROGRAMME

SHRI BALAJI GROUP OF HOSPITALS & COLLEGE

संस्कृत, सम्पत्ति सेवा का

श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल दुबे कालोनी, मोवा, रायपुर (छ.ग.), मो. मो. 7694016816, 8435018884

राजस्थान की सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लोकतंत्र में असहमति को नहीं दबाया जा सकता

विधायकों की अर्जी पर फैसला सुनाने से हाईकोर्ट को नहीं रोकेगे, अगली सुनवाई सोमवार को

एजेन्सी < जयपुर
www.dailypioneer.com

सुप्रीम कोर्ट ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों के अयोग्यता नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई को रोकने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। दरअसल, हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी को इन विधायकों के खिलाफ 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। जोशी ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सुनवाई के दौरान स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस स्टेज पर प्रोटोकॉल ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने नोटिस का जवाब देने के लिए समय बढ़ा दिया और कहा कि कोई कार्रवाई नहीं



फैसले से सचिन पायलट को राहत।

की जाए, यह प्रोटोकॉल ऑर्डर है। सिब्बल ने कहा कि कोर्ट तब तक कोई दखल नहीं दे सकता, जब तक कि विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा दिया जाए। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का रेफरेंस देते हुए कहा कि हाईकोर्ट स्पीकर को ये आदेश नहीं दे सकता है कि विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें। स्पीकर अगर विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रोसेस शुरू करें तो कोर्ट दखल नहीं दे सकता। 1% जस्टिस अरुण मिश्र समेत तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की।

जोशी ने कहा- स्पीकर को कार्यवाही का हक


जोशी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सचिन पायलट और सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारियां तय की हैं। स्पीकर होने के नाते मैनू कांडेस के 19 विधायकों को कारण बताओ नोटिस दिया था। अगर अर्थरिटी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेगी तो उसका काम क्या होगा? दरअसल, मंगलवार को इन विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस मामले में हाईकोर्ट ने लगातार दूसरे दिन सुनवाई की थी। बहस पूरी होने के बाद 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया। तब तक स्पीकर इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए गए। इसके खिलाफ स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायित्व की है।

भूपेश बघेल ने बहन सरोज पाण्डेय की राखी मिलने पर भेजा लुगरा का उपहार

राखी के साथ भेजे पत्र का जवाब देते हुए कहा- पूर्ण शराबंदी होकर रहेगी

प्रायनियर संवाददाता < रायपुर
www.dailypioneer.com

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डेय द्वारा राखी भेजने पर उनके प्रति आभार प्रकट किया है। सीएम ने छोटी बहन सरोज पाण्डेय को राखी की परंपरा अनुरूप नगद राशि और लुगरा (साड़ी) उपहार स्वरूप भेजकर परमपिता परमेश्वर से उनके दीर्घायु और सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन की कामना की है। बघेल ने सरोज पाण्डेय को यह भी आवश्कत किया है कि वे अपनी बहन के सुख-दुख के क्षणों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री ने सरोज पाण्डेय द्वारा राखी के साथ भेजे गए



मुझे प्रसन्नता होती यदि आप 15 वर्षों में भाजपा सरकार द्वारा महत्वपूर्ण वादों को पूर्ण करने में असफल रहने पर डॉ. रमन सिंह एवं मोदी को भी राखी भेजतीं

पत्र का जवाब देते हुए लिखा है कि भाई बहन के इस पवित्र त्योहार के अवसर पर आपके द्वारा राजनीतिक मुद्दे को उठाए जाने पर मानसिक कष्ट हुआ।

सीएम ने कहा कि मैं आपसे



वादा कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबंदी होकर रहेगी। हम सब इसकी तैयारी में लगे हैं। हमारी सरकार के कार्यकाल को मात्र 18 माह हुए हैं। हमारे चुनावी वादों को इतनी कम अवधि में ही पूर्ण कराने की आपकी

अधीरता समझ से परे है। मुझे प्रसन्नता होती यदि आप 15 वर्षों में भाजपा सरकार द्वारा सभी आदिवासी परिवारों को गाय देने, किसानों का धान 2100 रूपए प्रति क्विंटल करने, 5 वर्षों तक 300 रूपए प्रति क्विंटल बोनस देने, आदिवासियों से लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने, शराब बंदी जैसी वादों तथा प्रधानमंत्री जी द्वारा नागरिकों के बैंक खातों में 15-15 लाख रूपए आने, पेट्रोल का दाम 40 रूपए प्रति लीटर करने, डालर की कीमत 40 रूपए करने, मंहगाई कम करने, 1 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष उपलब्ध कराने, महिलाओं के लिए संसद एवं > श्रेष्ठ पेज 8 पर

कोरोना के रिकॉर्ड 45720 नये मामले, एक दिन में सर्वाधिक 1129 की मौत

एजेन्सी < नई दिल्ली
www.dailypioneer.com

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) ने देश में पिछले 24 घंटों के दौरान रौद्र रूप दिखाया और रिकॉर्ड 45720 नये मामलों से कुल संक्रमितों का आंकड़ा 12 लाख के पार तथा एक दिन में संक्रमण से सर्वाधिक 1129 मरीजों की मौत से कुल मृतक संख्या 29681 पर पहुंच गई।

इस दौरान राहत की बात यह भी रही कि एक दिन में सर्वाधिक 29557 मरीजों ने वायरस को शिकस्त दी। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को > श्रेष्ठ पेज 8 पर

राज्यसभा में भाजपा हुई मजबूत

एजेन्सी < नई दिल्ली
www.dailypioneer.com

राज्यसभा के ताजा द्विवार्षिक चुनाव में जीते सदस्यों के शपथ ग्रहण के पश्चात राज्यसभा में भाजपा सांसदों की संख्या 85 हो गई है, और सत्तारूढ़ गठबंधन राजग के सांसदों की कुल संख्या 102 पहुंच गई है। अब राजग और बहुमत के बीच केवल 22 सीटों का अंतर रह गया है। 1245 सदस्य राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 123 पर होता है। केन्द्र में सत्तारूढ़ राजग ने 100 का आंकड़ा पार कर बहुमत की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। राज्यसभा में नए सांसदों की शपथ के बाद उच्च सदन के समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस और कमजोर हुई है। उच्च

सदन में कांग्रेस की ताकत भाजपा से आधी से भी कम रह गई है।

उच्च सदन में भाजपा सांसदों की की संख्या 85 हो गई है दूसरी तरफ कांग्रेस और कमजोर हुई है और उसके केवल 40 सांसद उच्च सदन में रह गए हैं। कांग्रेस के गठबंधन संग्रम की संख्या 65 है जबकि राजग के सांसदों की कुल संख्या 102 पहुंच गई है। इस तरह राजग और संग्रम के बीच भी अंतर बढ़ गया है।

गौरतलब है कि उच्च सदन में 1990 के बाद बीते तीन दशक से किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं रहा है। इसके पहले कांग्रेस के पास राज्यसभा में बहुमत होता था। उस समय अधिकांश > श्रेष्ठ पेज 8 पर

गोधन न्याय योजना: गोबर विक्रेताओं को 5 अगस्त को मिलेगा पहला भुगतान : भूपेश

- मुख्यमंत्री ने 15 दिन में भुगतान करने के लिए निर्देश- बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी राशि
- पीपीपी माडल पर कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क विकसित करने के निर्देश
- आयुर्वेदिक कम्पनियों को छत्तीसगढ़ में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का प्रोत्साहित

प्रायनियर संवाददाता < रायपुर
www.dailypioneer.com

प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 15 दिन में गोबर खरीदी की राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में



आयोजित बैठक में वन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई को गोबर खरीदी शुरू कर की गई थी। इसके लिए 15वें दिन 5 अगस्त को गोबर विक्रेताओं को राशि का भुगतान किया जाएगा।

उन्होंने मुख्य सचिव को सहकारी और ग्रामीण बैंकों सहित अन्य बैंकों के अधिकारियों की बैठक आयोजित कर इसके लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के

निर्देश दिए। गोबर विक्रेताओं से क्रय किए गोबर की राशि उनके खाते में सीधे अंतरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने गौठानों में गोबर खरीदी का समय निर्धारित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह भी कहा कि गौठानों में वेटनरी डॉक्टरों और गौ-सेवकों के भ्रमण के कार्यक्रम भी तय किए जाए और लोगों की जानकारी के लिए गौठानों के सूचना पटल में प्रदर्शित किए जाए। श्री बघेल ने गौठानों और चारागाहों की देखभाल के लिए ग्रामीण कृषि

विस्तार अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से बस्तर लौटे युवाओं को वनोपज संग्रहण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों में और गोधन न्याय योजना में जोड़कर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और डीएफओ बैठक कर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कार्य योजना तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु वनोपजों की मार्केटिंग व्यवस्था पर विशेष रूप ध्यान दिया जाए। वनोपजों के बड़ी मात्रा में उपयोग करने वाली कम्पनियों से अनुबंध कर उनकी जरूरत की गुणवत्ता की वनोपजों और वनोपजियों को प्रसंस्करण करने के बाद कम्पनियों को उपलब्ध कराया जाए। > श्रेष्ठ पेज 8 पर

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक अखबार

प्रायनियर

रायपुर संस्करण के

स्थापना दिवस पर

हार्दिक बधाई व शुभकामनाएँ

श्रीचंद सुन्दरानी
पूर्व विधायक एवं प्रवक्ता
भाजपा

भारतीय जनता पार्टी (छ.ग.)

'कोरोना' से बचाव के मंत्र

1

फ़िज़िकल दूरी-

भीड़ में जाने से बचे और कहीं भी किसी से भी 1 मीटर की दूरी ज़रूरी

2

साबुन से हाथ धोना-

थोड़ी-थोड़ी देर में साबुन पानी से हाथ धोना या सेनेटाइज करना ज़रूरी

3

फेस मास्क-

फेस मास्क या कपड़े के बने धोने योग्य फेस कवर का उपयोग अनिवार्य, इस के बिना बाहर निकलने पर 100 रु. जुर्माना

मास्क या
फेस कवर
लगाए बिना
बाहर
निकले तो
अर्थदंड



छत्तीसगढ़ है तैयार, कोरोना की होगी हार